

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री तुलसीराम पिता पेमा डांगी निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर।
.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।
.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 277 / 25 (वाद) GCMS No. – 2025 / 653

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री किया जाता है कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 136 पर दर्ज आराजी नम्बर 2399 रकबा 0.9712 हेक्टेयर भूमि में वादी का नाम तुलछा पुत्र पेमा डांगी के बजाय तुलछा उर्फ तुलसीराम पुत्र पेमा डांगी संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

